राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3869/2025

बलवीर सिंह गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, अल्प संख्यक विभाग, जयपुर।
4. महेश कुमार मीणा, जिला अल्प संख्यक अधिकारी, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला अल्प संख्यक अधिकारी के पद पर जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग में व्याख्याता के मूल पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2019 के द्वारा अपीलार्थी को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर जिला दौसा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा जिला दौसा से जिला अल्पसंख्यक क्लयाण अधिकारी के पद पर जिला झालावाड़ में स्थानान्तरण कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा बिना अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सहमति लिए बिना ही अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या को जिला अल्पसंख्यक एवं कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जिला अल्पसंख्यक एवं कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के किसी विशेष पद पर पदस्थापित करने के लिए सक्षम नहीं है। प्रतयर्थी संख्या 3 ने तुरन्त दिनांक 15.07.2025 (अनुलग्नक–5) को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 13.07.2025 आदेश उचित आदेश नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग कर्मचारी को किसी विशेष पद पर नियुक्त करने लिए सक्षम नहीं है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3410/2025 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी

के स्थानान्तरण पर रोक लगाते हुए स्थगन प्रदान करते हुए अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखे जाने के आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर अपीलार्थी को एपीओ दर्शाते हुए उपस्थिति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में देने के निर्देश दिये गये। उनका कथन है कि उक्त आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान पारित किया गया है और राजस्थान राज्य में स्थानान्तरण/एपीओ पर पूर्ण प्रतिबंध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर जिला झालावाड़ में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)